(43)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ भोपाल.

इमरती बाई पत्नि स्व० राजेन्द्र कुमार उम्र 65वर्ष,
निवासी – जुमेराती कोरी मोहल्ला वार्ड क्र.–26,
होशंगाबाद तह. जि. होशंगाबाद.---------- पुनरीक्षणकर्ता.

4796

बनाम

01– दिनेश आत्मज बाबूलाल उम्र 45वर्ष,
02– मुन्नी बाई पत्नि मुन्नालाल आयु 50 वर्ष
दोनो निवासी – जुमेराती कोरी मोहल्ला वार्ड नंबर–26,
होशंगाबाद तह. जि. होशंगाबाद----- उत्तरवादीगण.

पुनरीक्षण क्रमांक–
प्रस्तुति दिनांक–

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता.

पुनरीक्षणकर्ताकी ओर सेनिवेदन है :–

यह कि, पुनरीक्षणकर्ता दिनांक– 08.11.2017 की आदेश पत्रिका राजस्व प्रकरण क्रमांक–301–अ/वर्ष 2006वर्ष 2010–11 जिसमें पक्षकार दिनेश वगैरह बनाम इमरती बाई थे से क्षुब्ध होकर उक्त याचिका प्रस्तुत कर रहा है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निगरानी / होशंगाबाद / भू.रा. / 2017 / 4796 [इमरतीबाई / दिनेश]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदिका अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नजूल अधिकारी होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नजूल अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये गये हैं। आवेदक की इच्छानुसार साक्षियों को बार–बार आहूत नहीं किया जा सकता है, पहली बार में ही प्रतिपरीक्षण करना चाहिये । अतः नजूल अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	